न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 1412–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.4.14 पारित द्वारा तहसीलदार, अशोकनगर प्रकरण कमांक 1123/बी–121/13–14.

———

राहुल सिंह पुत्र उत्तमसिंह रघुवंशी
निवासी भोपाल द्वारा मुख्तार आम उत्तमसिंह
पुत्र स्व. श्री अजीत सिंह रघुवंशी
निवासी इन्द्रपुरी भोपाल ——— आवेदक

विरूद्ध

1– प्रताप भानू पुत्र श्री नत्थूसिंह रघुवंशी
निवासी एच.डी.एफ.सी. कॉलोनी
मकान नं. ए/2/2 चिन्च वाड पुणे (महाराष्ट्र)

2– तहसीलदार, तहसील अशोकनगर

3– अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0प्र0 ——— अनावेदकगण

———

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1.
श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 2.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/12/14 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 1123/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 25.4.14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कस्बा अशोकनगर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 67/1 मिन रकबा 0.214, खसरा नं. 68/1 रकबा 1.376, खसरा नं. 585 मिन रकबा 0.031, खसरा नं. 599, 600 मिन रकबा 0.008 हैक्टर के भूमिस्वामी

मृतक अजीतसिंह थे । उनकी मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 67/1 मिन रकबा 0.214, खसरा नं. 68/1 रकबा 1.376 में से 1.358, खसरा नं. 585 मिन रकबा 0.031, खसरा नं. 599, 600 मिन रकबा 0.008 पर आवेदक तथा खसरा नं. 68/1 मिन रकबा 0.018 का नामांतरण अरूणा पुत्री अजीत सिंह के नाम नामांतरण पंजी नं. 79 पर तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा दिनांक 23.9.08 को प्रमाणित किया गया ।

तहसीलदार के उक्त आदेश के 5 वर्ष से अधिक समय उपरांत तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 18.3.14 के आधार पर दिनांक 24.4.14 को नामांतरण पंजी कमांक 79 दिनांक 25.9.08 को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी से रिर्पोट लेने के आदेश दिए एवं प्रकरण में दिनांक 25.4.14 की तिथि नियत की । दिनांक 25.4.14 को नामांतरण पंजी क. 79 आदेश दिनांक 25.9.08 को निरस्त करने एवं मामले को पुनः खोलने की अनुमति हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 25.5.14 को ही बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने तहसीलदार को पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की । इस पर से तहसीलदार ने दिनांक 25.4.14 को ही पटवारी को नामांतरण पंजी कमांक 79 आदेश दिनांक 25.9.08 के पूर्व की स्थिति दर्ज करने के आदेश दिए एवं उभयपक्षों को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए एवं प्रकरण दिनांक 7–5–14 के लिए नियत किया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही क्षेत्राधिकार रहित है क्योंकि नामांतरण पंजी कमांक 79 आदेश दिनांक 25.9.08 अंतिम स्वरूप का होकर अपीलाधीन आदेश था जिसे कोई चुनौती हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा नहीं दी गई है, इस कारण वह आदेश अंतिम हो चुका है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह अधिकारिता रहित है क्योंकि अनावेदक कमांक 1 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी के आधार पर एस.डी.ओ. ने तहसीलदार को पंजी पर पारित आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन भेजने के

आदेश दिए जिस पर से तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो अधिकारिता रहित है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो जानकारी लेकर कार्यवाही की है, उसे करने का अधिकार उसे नहीं था और ना ही होगा क्योंकि यह अधिकार केवल हितबद्ध रखने वाले पक्षकार को ही है नाकि अन्य किसी को । इस प्रकरण में हितबद्ध बताने वाले व्यक्ति द्वारा तहसीलदार के आदेश को कोई चुनौती अपील आदि के रूप में जानकारी होते हुए भी नहीं की गई है । अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह क्षेत्राधिकार रहित है जिसे निरस्त किया जाना चाहिए ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क भी दिया गया कि वह ही मृतक अजीतसिंह का विधिक उत्तराधिकारी है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक 04/2006/वि.दी. (भू अर्जन अधिकारी, गुना विरूद्ध शांतिदेवी आदि) में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.08 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति पेश की गई जिसमें दावेदारानगण के कमांक 15 पर आवेदक का नाम अजीतसिंह के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अंकित है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन की जो अनुमति दी है वह भी अधिकारिता रहित है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनरावलोकन की अनुमति हित रखने वाले व्यक्ति को सुने बिना नहीं दी जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक ही दिन में रिव्यू की अनुमति का आदेश पारित किया है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में सारी कार्यवाही दो दिवस में की गई है जो यह दर्शाती है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की गई है । प्रकरण दिनांक 24.4.14 को दर्ज किया गया जिसकी कोई सूचना हितबद्ध पक्षकारान को नहीं दी गई इसी प्रकार तहसीलदार ने दिनांक 25.4.14 को बिना वैधानिक प्रकिया का अनुसरण किए रिव्यू की अनुमति हेतु भेजा एस.डी.ओ. ने भी बिना वैधानिक प्रकिया का पालन किये दिनांक 25.9.14 को अनुमति दी । इसके उपरांत तहसीलदार ने दिनांक 25.9.14 को ही पंजी कमांक 79 दिनांक 25.9.08 के पूर्व की स्थिति दर्ज करने विषयक आदेश

पटवारी को दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत हैं । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा उनके समक्ष लंबित कार्यवाही को अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में तहसीलदार ने पंजी पर जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उक्त आदेश सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बिना पारित किया गया है और अत्यंत जल्दबाजी में किया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक दो एवं तीन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार ने पूर्व में दिनांक 25–9–08 को नामांतरण पंजी पर पारित आदेश को 5 वर्ष से अधिक समय उपरांत स्वमेव निगरानी में लेने के लिए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 25–4–14 को दिया और उस प्रतिवेदन पर से संबंधित पक्ष (आवेदक) को सुने बिना अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 25–4–14 को ही पुनरावलोकन की अनुमति दी और 25–4–14 को उसी दिन ही तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा यह निर्णय दिया कि पूर्व की स्थिति में अभिलेख रखा जाये । इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो आदेश पूर्व में हुआ था उसे आवेदक को बिना सुने एकपक्षीय रूप से परिवर्तित किया गया है । तहसीलदार की उक्त कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के विपरीत, अधिकारिता रहित और प्राकृतिक न्याय़ सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक कमांक 1 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो जानकारी मांगी गई थी उसको संज्ञान में लेते हुए आलोच्य कार्यवाही की गई है जबकि तहसील न्यायालय का दिनांक 25–9–08 का आदेश अपील योग्य है और संबंधित व्यक्ति जो कि प्रभावी हो

सकते थे उनके द्वारा ना तो उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील की गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह न्यायिक अधिकारों का नितांत अनुचित उपयोग है और प्रथमदृष्टया ही क्षेत्राधिकार विहीन है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर